

16/7/24

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व अध्यायी  
अनुपाचित हैं उनको न्यायालय में  
रुक-रुककर आ-आ कर आज्ञा दिलवाई  
गई। परन्तु कोई भी न्यायालय समय  
तक उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रकरण  
आदेश 9 नियम 3 के अन्तर्गत अदम  
हजरी व अदम पैरवी में श्वारिज  
लिखा जाता है। प्रकरण फौजदारी सुमा  
होकर नम्बर संक्रम हो तथा फौजदारी  
दरिखल हो।

उपखण्ड अधिकारी  
सौशल